

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 57

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02178

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "वालफोर्ट वूड फेस-2", प्रमोटर-वालफोर्ट प्रापर्टीज प्रा.लि.,  
द्वारा-श्री पंकज मूलचंद लाहोटी, पता-204, 205, वालफोर्ट ओजोन, फाफाडीह  
चौक, जिला-रायपुर (छ.ग.)  
प्रोजेक्ट-"वालफोर्ट वूड फेस-2" ग्राम-बरोंडा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
28/02/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "वालफोर्ट वूड फेस-2" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA160618000210 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 16.06.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 19.07.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 21.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 29.12.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 19.07.2023 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p>	

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 57

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02178

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "वालफोर्ट वूड फेस-2", प्रमोटर-वालफोर्ट प्रापर्टीज प्रा.लि.,  
द्वारा-श्री पंकज मूलचंद लाहोटी, पता-204, 205, वालफोर्ट ओजोन, फाफाडीह  
चौक, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"वालफोर्ट वूड फेस-2" ग्राम-बरोंडा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। - प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	